(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 23/2021- सीमा शुल्क(एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 20 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. ...(अ). - जहां कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/30/2019-डीजीटीआर, के अंतर्गत यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिसे इसके बाद विषयगत देशों के रूप में सन्दर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "नायलॉन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट)" (जिसे इसके बाद विषयगत वस्तु के रूप में संभोधित किया गया है) पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को सा.का. नि. सं. 998 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 50/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा लागू किया गया था, के उत्पाद क्षेत्र की समीक्षा करने के मामले में, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अंतर्गत मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ की थी;

और जबकि उक्त समीक्षा के मामले में नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 7/30/2019-डीजीटीआर में सिफारिश की है कि दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 50/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी) में बीसीएफ यार्न

के तकनीकी क्षेत्र में संशोधन लाया जाये और उच्च डेनीरेज के बीसीएफ यार्न (लगभग 650 डेसिटेक्स से 10000 डेसिटेक्स तक) को प्रतिपाटन शुल्क से मुक्त किया जाये |

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 अक्टूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. सं. 998 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग--II, खंड --3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: --

उक्त अधिसूचना में, तालिका के तहत दी गई पाद टिप्पणी में, अंक और शब्द "1650 डेसिटेक्स" के स्थान पर अंक और शब्द "10000 डेसिटेक्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फाइल सं 354/326/2018-TRU (Pt.-I)]

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार